न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुन्झुनु राज0

पीठासीन अधिकारीः–
राजस्व वाद सं. :–71/17 जीतू कुलहरी, आर.ए.एस

विजय सिंह उर्फ रामजीलाल पुत्र श्यामलाल जाति छीपी निवासी गुर्जरवास तह बुहाना जिला झुन्झुनु राज0

––––वादी

बनाम

1. कैलाश
2. हरिराम
3. इन्द्राज
4. सांवरमल
} पुत्रान श्यामलाल जाति छीपी निवासी गुर्जरवास तह बुहाना जिला झुन्झुनु राज0

5. पिंकी देवी पत्नी स्व. नन्दलाल

6. मनिषा
7. अनिषा
8. चंचल
9. मानिका
} पुत्रियान नन्दलाल जाति छीपी निवासी गुर्जरवास तह बुहाना जिला झुन्झुनु राज0

10. रूकमणी देवी पत्नी श्यामलाल जाति छीपी निवासी गुर्जरवास तह बुहाना जिला झुन्झुनु राज0
11. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनू राज0

––––प्रतिवादीगण

दावा–घोषणात्मक खातेदारी व खाता विभाजन

–:निर्णयः–

दिनांक 18-1-21

(1) वादी का वाद पत्र रहा है कि

1. यह कि वाके ग्राम गुर्जरवास तह बुहाना जिला झुन्झुनु राज0 स्थित भूमि हाल खाता सं0 143 के हाल ख.न. 502/1 रकबा 0.05 है, ख.न.503 रकबा 0.04 है,ख.न. 504/1 रकबा 0.99 है, ख.न. 512/2 रकबा 0.64 है, कुल किता 4 कुल रकबा 1.68 है0 के पूर्व खातेदार श्यामलाल था।

2. यह कि वादी वप्रति 0 स0 1 ल0 4 के पिता तथा प्रति स0 5 के ससुर व प्रति स0 6 ल0 9 के दादा व प्रति स0 10 के पति श्यामलाल का स्वर्गवास होने पर जब ग्राम पंचायत ने फौतगी मृत्युकाल दर्ज किया उस समय वादी का नाम रामजीलाल दर्ज कर दिया। जबकि श्यामलाल के रामजीलाल नाम का कोई पुत्र संतान पैदा ही नहीं हुआ है ग्राम पंचायत ने बिना सही जाँच किये बिना वादी के नाम विजय सिंह की बजाय रामजीलाल दर्ज करवा दिया। जिसका उनको कोई अधिकार नहीं है इसलिये वादी इस खाते में दर्ज रामजीलाल का नाम हजफ करवाकर उसकी जगह विजय सिंह दर्ज करवाने की घोषणा करवाने का अधिकारी है।

3. यह कि वादी व प्रतिवादीगण ने अपनी भूमि का बा[illegible] ब[illegible]ा कर रखा है लेकिन राजस्व रिकार्डमें संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने [illegible] अपनी भूमि का सुधार कार्य व भूमि रूपान्तरण करवाने में परेशानी [illegible] विभाजन करना चाहते है।जिसमें [illegible] हिस्सा 0.24 है0 प्रति स[illegible]0 9 वादी का हिस्सा 0.24 है0 है व प्रति व0 1ल 04 प्रत्येक [illegible] हिस्सा 0.24 है0 है व प्रति0 स0 10 का हिस्सा 0.24 है0 है।

4. यह कि वाके ग्राम गुर्जरवास तह बुहाना जिला झुन्झुनु राज0 स्थित होने से न्यायालय श्रीमान जी को सुनवाई का अधिकार प्राप्त है।

उपखण्ड अधिकारी, बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2021.06.14 16:19:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

राजस्व वाद संख्याः– 71/2017
GCMS NO- 2017/00124
विजयसिंह बनाम कैलाश आदि
निर्णय दिनांकः– 18-1-21

वादीगण ने वादपत्र से अनुतोष चाहा कि–

(क) कि .यह कि वाके ग्राम गुर्जरवास तह बुहाना जिला झुन्झुनु राज0 स्थित भूमि हाल खाता सं0 143 के हाल ख.न. 502/1 रकबा 0.05 है, ख.न.503 रकबा 0.04 है,ख.न. 504/1 रकबा 0.99 है, ख.न. 512/2 रकबा 0.64 है, कुल किता 4 कुल रकबा 1.68 है0 वादी का नाम रामजीलाल की जगह विजय सिंह पुत्र श्यामलाल दर्ज किया जावे तथा वादी का हिस्सा 0.24 है0 का खाता अलग से विभाजन कर लगान भी अलग से कायम किये जाने की कृपा करे ।

(ख) कि अन्य अनुतोष जो वादीगण द्वारा दावे में अयाचित रह गया हो और वादीगण के हक में हो दिलवाया जावे।

(2) दावा दर्ज पंजिका कार प्रतिवादीगण की तलबी की गई। सभी प्रतिवादीगण की सम्यक तामिल हुई । प्रतिवादी स. 1 ल0 10 की सम्यक तामिल पर उपस्थित।

(3) वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबंदी संवत 2070–73 पेश किया गया।

(4) प्रतिवादी स. 1 ल0 10 की ओर से इकबालिया जवाब दावा पेश कर अनुतोष चाहा कि मेरे हिस्से की कब्जेकाश्त अनुसार भूमि का खाता विभाजन कर लगान अलहेदा किया जावे।

(5) दावा खाता एवं लगान विभाजन बाबत दिनांक 21.06.2018 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार बुहाना को कुर्रेजात प्रस्ताव हेतु लिखा गया। तहसीलदार बुहाना क्रमांक 3227 दिनांक 17.12.2019 से कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हुऐं।

(6) बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी गई।

(7) पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। कुर्रेजात रिर्पोट निर्देशानुसार प्राप्त हुई है। पक्षकारान ने प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा डिक्री किये जाने पर सहमति दी गई। अतः न्यायालय मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट वाद वादी अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

–:आदेशः–

न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। वाके कि वाके ग्राम गुर्जरवास तह बुहाना जिला झुन्झुनु राज0 स्थित भूमि हाल खाता सं0 143 के हाल ख.न. 502/1 रकबा 0.05 है, ख.न.503 रकबा 0.04 है,ख.न. 504/1 रकबा 0.99 है, ख.न. 512/2 रकबा 0. 64 है, कुल किता 4 कुल रकबा 1.68 है0 भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव "प्रदर्श अ" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो संबन्धित खातेदार/काश्तकार को मिलने वाले हिस्से/रकबे के विरूद्ध दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

(जीतू कुलहरी)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर बुहाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2021.06.14 16:19:12 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 18-1-21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर व हस्ताक्षर कर न्यायालय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(जीतू कुलहरी)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर बुहाना

उपखण्ड अधिकारी, बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज०)

Scanned by CamScanner

मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी –: जीतू कुलहरी, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.–71/2017
निर्णय दिनांक :–18-1-21

विजयसिंह आदि **बनाम** कैलाश आदि

दावा–घोषणात्मक खातेदारी व खाता विभाजन

वादी की ओर से **श्री विकास शर्मा एडवोकेट** की व प्रतिवादी सं. 1 से 10 की ओर से **श्री प्रविन्द्रसिंह एडवोकेट** की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 18-1-21 को **जीतू कुलहरी उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। वाके कि वाके ग्राम गुर्जरवास तह बुहाना जिला झुन्झुनु राज0 स्थित भूमि हाल खाता सं0 143 के हाल ख.न. 502/1 रकबा 0.05 है, ख.न.503 रकबा 0.04 है,ख.न. 504/1 रकबा 0.99 है, ख.न. 512/2 रकबा 0. 64 है, कुल किता 4 कुल रकबा 1.68 है0 भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव "प्रदर्श अ" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो संबन्धित खातेदार/काश्तकार को मिलने वाले हिस्से/रकबे के विरूद्ध दर्ज किया जावे। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।
निर्णय आज दिनांक 18-1-21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(जीतू कुलहरी)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
झुन्झुनूं (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2021.06.14 16:19:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner